उद्योगों की कैपिटल हेतु स्ट्रेस्ड एसेट फंड की जरूरत : खेतान

निवेशकों में भरोसा जगाने में आईबीसी सक्षम नहीं : इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कई संशोधन होने बाकी

पुणे, 4 मार्च (आ.प्र.)

एयू कॉर्पोरेट एंड लीगल एडवाइजरी सर्विसेज के संस्थापक अक्षत खेतान ने बताया, देश के इन्सॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में 6 लाख करोड़ रुपये अटके हुए हैं. इसके मद्देनजर केंद्र सरकार को स्ट्रेस्ड एसेट स्टेबिलाइजेशन फंड स्थापित करने की जरूरत है जिससे लघु और मध्यम उद्योगों की कैपिटल नीड्स को पूरा किया जा सके.

होटल ऑर्बिट में आयोजित संगोष्ठी में खेतान ने कहा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के देशभर में फैले हुए 16 बेंच में कुल 6038 इन्सॉल्वेंसी केसेस की सुनवाई चल रही है. इसमें 6 लाख करोड़ रुपये अटके हुए हैं. इसमें 54 प्रतिशत कम्पनीज शेयर बाजार में लिस्टेड हैं. कुल रकम में 28 प्रतिशत एमएसएमई, 54 प्रतिशत एसएमई और लार्ज कॉर्पोरेट्स के मामले है.

4 P का महत्व

इन्सॉल्वेंसी केसेस में हम जो सलाह देते हैं, उसमें 4 P मायने रखते हैं. पहला पर्सन, दूसरा पेपर, तीसरा प्रोसिजर और चौथा पैशन. अगर किसी कंपनी ने एक बैंक से लोन लिया है और रि- पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो तो दूसरी बैंक में जाकर अकाउंट खुलवाने से पहले बैंक मैनेजमेंट से बातचीत लाभदायक होती है.

अक्षत खेतान

खेतान ने इस उद्योग में लंबे- चौड़े बदलाव लाने की वकालत की है. उन्होंने मामलों को सुलझाने वाले एक स्पष्ट रास्ते की और युवा पेशेवरों में उद्यमशील मानसिकता को बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया. खेतान ने एक ढांचा खड़ा करके डिजिटल प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन करने तथा राज्य-स्तरीय करों को समाप्त करते हुए, ईंधन और ऊर्जा की लागत को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने पर जोर दिया है. उन्होंने आगे कहा, किसी देश की आर्थिक सफलता केवल संसाधनों की उपलब्धता पर ही केंद्रित नहीं होती, बल्कि समान रूप से ऐसी मजबूत कानूनी प्रणाली पर भी निर्भर होती है, जो सभी के भरोसे, निवेश और निष्पक्षता की रक्षा कर सके. जिस तरह कंकाल तंत्र मानव देह को क्रियाशील और स्थिर रखता है, उसी तरह कानूनी प्रणाली किसी देश की आर्थिक देह को सीधा खड़ा रखने और उसे आगे बढ़ाने में रीढ़ की हड्डी का काम करती है.

इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आईबीसी) में कई संशोधन होने बाकी हैं. अब यह कानून निर्माताओं को तय करना है कि विदेशी निवेशकों और ऋणदाताओं को जरूरी भरोसा प्रदान करने वाले, आगे के कदम उठाने की जरूरत है या नहीं. आखिरकार, उद्देश्य तो यही था कि कारोबार चालू रखे जाएं और विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाए. अपने वर्तमान स्वरूप में आईबीसी, घरेलू या विदेशी निवेशकों के बीच बहुत ज्यादा भरोसा जगाने में सक्षम नहीं रहा है.